उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-180/2018/3138/92-2-2018-02टी0ए0सी0(जांच)/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 14 दिसम्बर, 2018

**<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>**

जनपद-प्रतापगढ. में वर्ष 2016-17 मे चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम चन्दपुर गोविन्दपुर ब्लाक-शिवगढ़ जामतली में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों की टी0ए0सी0 जांच आख्या दिनांक 26.05.2017 के अनुसार परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 53,673.00 के लिए श्री एन0के0 दूबे, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ को निर्माण कार्यों में पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी लापरवाही हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-1177/92-2-2017-02टी0ए0सी0(जांच)/2017, दिनांक 13.07.2017 द्वारा श्री एन0के0 दूबे के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण निर्गत करते हुए निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2- अपचारी अधिकारी श्री एन0के0 दूबे, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ का स्पष्टीकरण निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-जी-1536/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/2017-18, दिनांक 01-02-2018 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत् है:-

"अपचारी अधिकारी श्री एन0के0 दुबे, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ ने अवगत कराया है कि उनकी मूल तैनाती पी0आई0यू0 जौनपुर, अतिरिक्त प्रभार प्रखण्ड जौनपुर एवं प्रखण्ड प्रतापगढ़ होने तथा विधान सभा चुनाव में जनपद जौनपुर में दिनांक 12.08.2016 को स्ट्रांग रूप प्रभारी का दायित्व एवं जनपद प्रतापगढ़ मे दिनांक 09.08.2016 को प्रभारी ई0वी0एम0 का दायित्व संबंधित जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर सौंपा गया। जनपद जौनपुर में मूल तैनाती होने के क्रम में उनके अनुरोध के पश्चात भी जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ द्वारा प्रभारी अधिकारी ई0वी0एम0 प्रतापगढ़ के अतिरिक्त दायित्वों से मुक्त नहीं किया गया। तत्पश्चात भी उनके द्वारा दिनांक 13.02.2017 को उक्त कार्य का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण आख्या जारी की गयी। सहायक अभियन्ता द्वारा कमियों के निराकरण के पश्चात परिपालन आख्या प्रेषित किया गया। उक्त ग्राम में कुल 5 गलियों का निर्माण प्रस्तावित था। 2 गलियों का विवाद हल कराये जाने हेतु सहायक अभियन्ता(प्रथम) द्वारा पत्रांक-260, दिनांक 22.09.2016 द्वारा तहसीलदार रानीगंज एवं पत्रांक-293, दिनांक 16.03.2017 द्वारा उपजिलाधिकारी रानीगंज से अनुरोध किया गया। विवाद हल होने पर कार्य को पूर्ण करा दिया गया।

टी0ए0सी0 द्वारा दिनांक 27.05.2017 को जांच की गयी। जांच रिपोर्ट के पृष्ठ-6 पर अंकित सीमेंट कांक्रीट (1:2:4) का सैम्पल कोड संख्या-1 व लीन कांक्रीट (1:6:12) का सैम्पल कोड संख्या-सी-2, एच-2, आई0ई0टी0 लखनऊ द्वारा रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री का अनुपात सही पाया गया। इस स्तर से समय-समय पर वांछित टेस्ट कराकर क्वालिटी एश्योरेंस रजिस्टर में दर्ज कराया गया। परिणाम मानक के अनुरूप पाये गयें। जांच के समय क्वालिटी कन्ट्रोल रजिस्टर टी0ए0सी0 को उपलब्ध कराये गये। तत्पश्चात भी टी0ए0सी0 द्वारा कुछ स्थलों दृष्टि परीक्षण के आधार पर लीन कांक्रीट की शक्ति, नाली टाप पर किया गया पी0सी0सी0, व्रिक व नाली दिवाल पर किया गया प्लास्टर की शक्ति कमजोर परन्तु स्वीकार्यता की सीमा में आंकते हुए उक्त तिथि तक निर्मित उक्त मदों में पूर्ण मात्रा पर

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कटौती रू0 (4698.00+1064.08+1003.30+582.55) योग रू0 7347.93 की गणना की गयी, जो न्याय संगत नहीं है।

मजरा यादव बस्ती में निर्मित खड़न्जे से रमाकान्त यादव के घर तक गली नं0 4 में लीन कांक्रीट की मोटाई औसत 4.77 से0मी0 आंकते हुए रू0 27,771.30 की संभावित शासकीय क्षति की गणना की गयी। उक्त कार्य की मापी अवर अभियन्ता श्रीमती गरिमा गुप्ता ने एम0बी0 नं0669 पेज नं0 120 पर कराये गये कार्य के अनुसार ही लीन कांक्रीट की मोटाई की मापी की गयी है, जिससे संभावित शासकीय क्षति रू0 27,771.30 नहीं हुई है।

टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति रू0 7347.93 जो अनुबन्ध की धनराशि रू0 18,17,999.00 के 2 प्रतिशत रू0 36,359.58 से कम है। श्री दूबे द्वारा संबंधित ठेकेदार के बीजक से माप पुस्तिका संख्या-669 पृष्ठ 124 पर रू0 2.00 लाख रोक गया है। शासनादेश दिनांक 14.07.2009 के बिन्दु-1 मे प्राविधान "तकनीकी जांचों एवं अनुशासनिक जांचों में परिलक्षित शासकीय क्षति यदि कुल परियोजना लागत का 2 प्रतिशत तक है तथा यदि त्रुटियां गंभीर प्राकृतिक की नहीं हैं तो उसके लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाय"। परियोजना की लागत रू0 18,17,999.00 है, रू0 25.00 लाख से कम होने के क्रम में उक्त शासनादेश के बिन्दु 2 मे 'परियोजना की लागत रू0 25.00 लाख से कम है' अधिशासी अभियन्ता पर दायित्व निर्धारण का प्राविधान नहीं है।

श्री एन0के0 दुबे द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। स्वीकार्यता सीमा तक पायी जाने वाली कमियों की कटौती हेतु संबंधित ठेकेदार के बीजक से रू0 2.00 लाख रोका गया। कराये गये कार्यों की माप शत प्रतिशत कार्य स्थल पर कराये गये कार्य के अनुसार मापी संबंधित अवर अभियन्ता से सुनिश्चित कराकर संभावित रू0 27,771.30 की क्षति को नहीं होनें देने, कार्य की लागत रू0 25.00 लाख से कम होने, शासकीय क्षति रू0 7347.93 परियोजना की लागत का 2 प्रतिशत रू0 36,359.98 से कम होने के क्रम मे शासनादेश दिनांक 14.07.2009 के बिन्दु 1 व 2 में प्राविधान के अनुसार उन्हें उत्तरदायी न माना जाय"।

3- शासन स्तर से निर्गत स्पष्टीकरण, अपचारी अधिकारी का उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री एन0के0 दुबे, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ़ को निर्माण कार्यों में पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी लापरवाही हेतु उन्हें "परिनिन्दा" का दण्ड देते हुए उनके विरूद्ध शासन के पत्र संख्या- संख्या-1177/92-2-2017-02टी0ए0सी0(जांच)/2017, दिनांक 13.07.2017 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण को एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

h